



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

No. 171]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2012/माघ 11, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2012/MAGHA 11, 1933

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

का.आ. 196(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम^१, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सङ्क खंड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 196(अ), तारीख 6 मार्च, 2000 और सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1192 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2001 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 के क्रमशः 410.000 कि.मी. से 419.000 कि.मी., 470.000 कि.मी. से 476.150 कि.मी. तक और 419.000 कि.मी. से 447.000 कि.मी. तक (पूर्णिया-गोयरकता सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 पर 410.700 कि.मी. से 447.000 कि.मी., कुल लम्बाई 36.30 कि.मी. तक के खंड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तरभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यानों पर चार और अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु, निवल सङ्क खंड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तरभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आधार दर” कहा गया है) उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने पदधारियों के माध्यम से अथवा उक्तेदार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्—

सारणी 1

यान का प्रकार

आधार वर्ष 2007-08 के लिए
प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति
किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)

(1)

(2)

0.65

1.05

कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान

हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस

(1)	(2)
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.स.म.) या अर्थ मूलिंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (चार से छह धुरी)	3.45
अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20
टिप्पण :—	
1. नीचे उद्गृहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा :	
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
416.000 कि.मी. (बरसोनी गांव के पास, पूर्णिया जिले में)	36.300

2. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के लिए मासिक पास की दर 190.00रु. (एक सौ नब्बे रुपये मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है।

3. राजमार्ग सेवान पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किए जाएंगे अर्थात् :—

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के	दो	संदाय के समय से
• लिए फीस का डेढ़ गुणा		चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे यानों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के यान के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा परंतु ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो ।

5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक रोड आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, शुल्क की दरों में वार्षिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा परंतु छह महीने के भीतर कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

9. परियोजना की अनुमानित पूँजीयत लागत 274.05 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं से प्राप्त किए गए शुल्क के माध्यम से पूँजीयत लागत की वसूली का अभिलेख रखा जाएगा और पूँजीयत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात उद्गृहण शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और नियमों के अनुसार इनका वार्षिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा ।

[फा.सं. भारतप्रा/13013/680/10-11/सीओ/जीसी सिलीगुडी (410-447)]

बी.बी.मोहपात्रा, निदेशक

टिप्पण.—यह भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 13(अ), तारीख 5-1-2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए है जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2012

S.O. 196 (E).—Whereas by notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 196 (E), dated the 6th March, 2000 and Ministry of Road Transport and Highways number S. O. 1192(E), dated 3rd December, 2001, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from kilometer 410.000 to kilometer 419.000, kilometer 470.000 to kilometer 476.150 and kilometer 419.000 to kilometer 447.000 (Purnea-Goyekata Section) of National Highway No. 31 in the State of Bihar respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road Section length (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane Sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the Section from kilometer 410.700 to kilometer 447.000, total length being 36.30 kilometers on the National Highway No. 31 in the State of Bihar and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

TABLE 1

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes :—

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plazas :

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is Payable
Km. 416.000 (near Barsoni Village in Purnea District)	36.300

2. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 190.00 (Rupees One Hundred Ninety only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 :

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.
9. The estimated capital cost of the project is Rupees 274.05 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/680/11-12/CO/GC-Siliguri (410-447)]

B. B. MOHAPATRA, Director

Note.—This is in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 13(E), dated the 5-1-2010 except as respects things done or omitted to be done before such suppression.